तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज खेमसिंह बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी लूणी) सू.अ.अ. अपील संख्या 142/2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.09.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी खेमसिंह पुत्र गणपतसिंह निवासी शिकारपुरा तहसील लूणी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 19.06..19 में उसके द्वारा (1) न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूणी में अनवान विमलादेवी बनाम जवरीलाल झंवर में राजस्व गावं शिकारपुरा के खसरा नम्बर 467 वाद संख्या 09/2016 में निर्णय दिनांक 16.02.2016 एवं सम्पूर्ण पत्रावली की नियमानुसार प्रमाणित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(उपखण्ड अधिकारी लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना रिकॉर्ड पर उपलब्ध होने पर प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	